अनुदान संख्या 102 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 102 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3057,28,00	3057,31,00	2566,49,49	-490,81,51
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				457,41,43
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		5,32,00	1,99,97	-3,32,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,32,03

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुई/हुआ :–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2204”	Major Head “2204”				
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	268824.00	256504.99	253164.91	-3340.08
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-12321.01			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	33094.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-33095.00			

(I) सोलह शीर्षों के तहत ₹37115.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त 1.00 लाख रुपये के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹36480.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे;

(का) मुख्य शीर्ष "2204" –

(क) "खेलकूद और खेल – राष्ट्रमंडल खेल" – ₹3000.00 लाख – माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से मध्यस्थता धन जमा करने के लिए निदेश प्राप्त नहीं होने के कारण।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – एनवाईकेएस और एनएसएस–बाह्य सहायता प्राप्त घटक को मजबूत करने के लिए यूएनवी परियोजना" – ₹800.00 लाख – परियोजना के चरण III को मंजूरी न मिलने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय सेवा योजना" – ₹1600.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय युवा कोर" – ₹750.00 लाख;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल" –

(i) "राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता" – ₹2800.00 लाख;

(ii) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹6600.00 लाख;

(iii) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" – ₹700.00 लाख;

(I) Provision of ₹37115.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹36480.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head "2204" -

(a) "Sports and Games - Commonwealth Games" - ₹3000.00 lakhs - due to non-receipt of direction from Hon'ble High Court, Delhi for deposit of arbitration money.

(b) "International Cooperation - UNV Project for strengthening NYKS and NSS-Externally aided component" - ₹800.00 lakhs - due to non-approved of phase III of the project.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare programme for Students" -

(i) "National Service Scheme" - ₹1600.00 lakhs;

(ii) "National Youth Corps" - ₹750.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(i) "Assistance to National Sports Federations" - ₹2800.00 lakhs;

(ii) "Sports Authority of India" - ₹6600.00 lakhs;

(iii) "Laxmibai National Institute of Physical Education" - ₹700.00 lakhs;

(iv) "पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" – ₹9030.00 लाख;

(v) "खेलो इंडिया" – ₹7200.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" – "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना" – ₹1600.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के तहत अनुदान" – ₹2400.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियोंधनिधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों में बचतें हुई :–

(का) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान" – ₹4726.28 लाख की बचत (₹16201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन में देरी के कारण थी।

(खा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान" – ₹510.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के कारण हुई।

(गा) "खेलकूद और खेल" –

(क) "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" – ₹976.49 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेधावी पेंशन योजना के तहत कम संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) "Sports University in North East" - ₹9030.00 lakhs;

(v) "Khelo India" - ₹7200.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" - "Scheme for the development of scheduled castes" - ₹1600.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under Provision to article 275(1) of the constitution" - ₹2400.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2204" - savings occurred in the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for Students - Grants for Implementation of NSS" - saving of ₹4726.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16201.00 lakhs) was due to delay in implementation of revised procedure of flow of funds.

(B) "Youth Welfare Programmes for Non-students - Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development" - saving of ₹510.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and availability of unspent balance of previous year.

(C) "Sports and Games" -

(a) "Incentive to Sports Persons" - saving of ₹976.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due receipt of less number of eligible

applications under Meritorious Pension Scheme.

(ख) "जम्मू–कश्मीर में खेल कूद सुविधा में वृद्धि" – ₹4500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(b) "Enhancement of Sports Facility at J&K" - saving of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(ग) "खेलो इंडिया" – ₹21500.02 लाख की बचत (₹62100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(c) "Khelo India" - saving of ₹21500.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62100.00 lakhs);

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹1682.08 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students" - saving of ₹1682.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs);

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल" – ₹6125.81 लाख की बचत (₹22750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games" - saving of ₹6125.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22750.00 lakhs); and

(ड़) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹543.58 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Tribal Area Sub - Plan - Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Student" - saving of ₹543.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to delay in implementation of the revised procedure of flow of funds.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹23147.61 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2204" के तहत – निम्नलिखि शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही बताया जा चुका है :–

2.(I) The above savings were partly (₹23147.61 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "2204" - under the following heads :-

(का) “निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केंद्र संगठन” – ₹3143.70 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1245.03 लाख था।

(A) “Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan” - ₹3143.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹1245.03 lakhs.

(खा) “शारीरिक शिक्षा – लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर” – ₹1199.90 लाख।

(B) “Physical Education - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior” - ₹1199.90 lakhs.

(गा) “खेलकूद और खेल” –

(क) “भारतीय खेल प्राधिकरण” – ₹16242.90 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15413.75 लाख था।

(ख) “खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता” – ₹2241.21 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1989.13 लाख था।

(ग) “राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला” – ₹319.90 लाख।

(C) “Sports and Games” -

(a) “Sports Authority of India” - ₹16242.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹15413.75 lakhs.

(b) “Assistance to Promotion of Sports Excellence” - ₹2241.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹1989.13 lakhs.

(c) “National Dope Test Laboratory” - ₹319.90 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “2204” के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय होने से बचतें प्रतिसंतुलित हो गई :–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2204” - under the following heads:-

(का) “खेलकूद और खेल – पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय” – ₹8871.65 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष “2552” से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबन्धित योजनाओं के लिए कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(A) “Sports and Games - Sports University in North East” - excess of ₹8871.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) “अन्य व्यय – सेमिनार, समितियों, बैठकों आदि पर व्यय” – ₹570.69 लाख का अधिक व्यय (₹95.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खेल और युवा मामलों के मंत्रियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के सम्मेलन के आयोजन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) “Other Expenditure - Expenditure on Seminars, committees, meetings, etc.” - excess of ₹570.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Organizing the Conference of Sports and Youth Affairs Ministers and Secretaries of State/UTs.

(II) एक शीर्ष में ₹297.74 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹297.74 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचत निम्नानुसार हुई :–

(I) एक शीर्ष के तहत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष में ₹331.03 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत है।

3. In the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under one head saving of ₹331.03 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.